

**चौराण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



पत्रांक:- सम्बद्धता/2695-

दिनांक:- 05.04.2003

प्राचार्य,  
डी०पी०बी०एस०(पी०जी०), कालिज,  
अनुपश्चात्, बुलन्दशहर।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 311/जी०एस दिनांक 31.03.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का काष्ट करे जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन डी०पी०बी०एस०(पी०जी०) कालेज अनुपश्चात्, बुलन्दशहर को स्वतंत्र पोषित योजना के अन्तर्गत बी०ए० एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी हैः-

1. संस्था गार्डीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता तथा उनको निरन्तर को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत परिनियमों में वर्णित एवं गार्डीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था का निरीक्षण अगले सत्र में कराया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा यह निरीक्षण आँखा प्रमाण पत्र सहित महामहिम कुलाधिपति के अवलोकनार्थ निस्तारणार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित एवं गार्डीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो ३०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता को वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा ३०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(4) एवं धारा 37(5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को आँखा प्रस्तुत की जायेगी।
5. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विधयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फोम, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश: संख्या: १९६०/सतर-२-९७(८५) ९७, दिनांक ११.११.९७ के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी०ए० एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की क्षमता के साथ स्वतंत्र पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2002-2003, सेतुपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेगे, जिसके लिए पृथक् से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ।  
2. प्रभारी कमेटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

१.  
कुलसचिव  
२.